

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितंबर, 1994 सत्र

विधायक बोर्ड सूची

गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त, 1994 (श्रावण 27, 1916)

समय 10.30 बजे बिन

1. निधन का उल्लेख

- (1) श्री सुरेन्द्र नाथ, पंजाब के राज्यपाल
- (2) श्री चित्तीर सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (3) श्री माधव गोपाल नासेरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (4) श्री केशव सिंह चौहान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (5) श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (6) श्री मुरलीधर असाटी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (7) श्री भाकरु जी पाटिल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (8) श्री व्यंकटेश विष्णु द्विवेदी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रह्लाद

पुढ़कतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रह्ल पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधायित राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) पटल पर रखेंगे।

4. करवरी-मई 1994 सत्र के प्रह्लों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 287-का के अधीन करवरी-मई, 1994 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति पर्व रूपीकृति

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि :-

" सदन कार्यपाला समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को रूपीकृति देता है। "

7. ध्यानपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानकार्य

(1) श्री जबूलाल गौर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बच्चन नाथक, सदस्य, मुरैना जिले की उप जेल में कैदियों के साथ आमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रामलखन सिंह (भिण्ड), श्री बच्चन नाथक, डॉ. गौरीशंकर शेजबार, सदस्य, बालाघाट जिले के रूपबाल धानान्तरात नक्सलवादियों के हमले से पुलिस कर्मियों की हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

9. ध्यानपति तालिका की चौकाना

10. धासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 25 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

11. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महारथ के विषय पर चर्चा समय

प्रदेश में अतिवृष्टि से जन-धन की हानि के संबंध में सर्वत्री कैलाश विजयवर्गीय, जालम सिंह पटेल, रामलखन शर्मा, डॉ. रमन सिंह, केकर मुंजारे, बच्चन नाथक, बृजमोहन अग्रवाल, राजेन्द्र चौबे, डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सुश्री उमा यादव, सर्वत्री छत्रपति सिंह, भूपेन्द्र सिंह, ताराचन्द साहू, दियाराम साहू, रामेश्वर अखण्ड, विक्रम वर्मा, शीमली जयश्री बेनरजी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।